इकाई–3: आधारभूत शब्द एवं अवधारणाएँ: उत्तराधिकार, पदारोहन, समरक्तता और विवाह संबंधी (Basic Terms and Concepts: Inheritance, Succession, Consanguinity and Affinity)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

3.1 संगोत्रता (नातेदारी) के भेद (Types of Kinship)

3.2 संगोत्रता (नातेदारी) की श्रेणियाँ (Categories of Kinship)

3.3 अनुक्रमण या पदारोहन (Succession)

3.4 सारांश (Summary)

3.5 शब्दकोश (Keywords)

3.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

3.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे–

- नातेदारी के अन्तर्गत समरक्तता के संबंध को समझना।
- नातेदारी के अन्तर्गत विवाह-संबंधों को समझना।
- अनुक्रमण या पदारोहन की अवधारणा की जानकारी।
- उत्तराधिकार के अर्थ की जानकारी।

प्रस्तावना (Introduction)

नातेदारी का प्रत्येक समाज में बहुत महत्त्व है। संगमन, गर्भावस्था, पितृत्व, समाजीकरण, सहोदरता आदि जीवन के मूलभूत तथ्यों के साथ मानव व्यवहार का अध्ययन ही नातेदारी का अध्ययन है। मनुष्य समाज में जन्म के बाद से

ही अनेक लोगों से सम्बन्धित हो जाता है। इन संबंधों में रक्त एवं विवाह के आधार पर बने सम्बन्ध अधिक स्थायी एवं घनिष्ठ होते हैं। सम्बन्धों का निर्माण मानव द्वारा की जाने वाली सामाजिक अन्तःक्रिया का ही परिणाम है। जिन विशिष्ट सामाजिक सम्बन्धों द्वारा मनुष्य बंधे होते हैं और जो सम्बन्ध समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, उन्हें हम नातेदारी के अन्तर्गत सम्मिलित करते हैं।

3.1 संगोत्रता (नातेदारी) के भेद (Types of Kinship)

सामाजिक संबंधों में से सार्वभौमिक और आधारभूत संबंध वे हैं जो प्रजनन पर आधारित होते हैं प्रजनन की कामना दो प्रकार के संबंधों को जन्म देती है–

(*i*) माता-पिता एवं सन्तानों के बीच तथा भाई-बहिनों के बीच बनने वाले सम्बन्ध–इन्हें हम समरक्तता के संबंध कहते हैं।

(*ii*) पति-पत्नी के मध्य बनने वाले एवं इन दोनों के पक्षों के बीच बनने वाले सम्बन्ध, जिन्हें हम विवाह सम्बन्ध कहते हैं। दोनों प्रकार के संबंधों का हम यहाँ संक्षेप में उल्लेख करेंगे–

***(i)* समरक्त संबंध** (Consanguineous Relations): प्रजनन के आधार पर उत्पन्न होने वाले सामाजिक सम्बन्धों में से एक प्रकार वह है जो रक्त या समरक्तता के आधार पर बनता है, जैसे माता-पिता एवं संतानों के बीच का संबंध। संतानों माता-पिता से वाहकाणु (Genes) ग्रहण करती हैं और ऐसी मान्यता है कि उनमें समान रक्त पाया जाता है। इसी प्रकार से भाई-बहिनों में भी रक्त सम्बन्ध होते हैं।

नोट्स एक व्यक्ति के माता-पिता, भाई-बहिन, दादा-दादी, मामा, नाना-नानी, चाचा, बुआ आदि रक्त संबंध ही हैं, लेकिन रक्त सम्बन्धियों के बीच सदा ही प्राणी शास्त्रीय संबंध होना आवश्यक नहीं है।

इन संबंधों को यदि समाज स्वीकृति दे देता है तो वे वास्तविक संबंधों की तरह ही माने जाते हैं। अतः रक्त संबंधों में जैविकीय तथ्य इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना की सामाजिक मान्यता का तथ्य। विभिन्न समाजों में हमें इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलेंगे। मलेशिया के ट्रोब्रियाण्डा द्वीप निवासियों में वास्तविक पिता कभी-कभी अज्ञात होता है, लेकिन परम्परानुसार संतान का पिता वही माना जाता है जो उस लड़की से विवाह करता है। गोद लेने वाली प्रथा इसका सार्वभौमिक उदाहरण है। जिस व्यक्ति को गोद लिया जाता है, उसके प्रति सभी जगह ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वह जैविक रूप से उत्पन्न संतान हो। यदि वास्तविक रक्त संबंध ही ऐसे संबंधों का आधार होता है तो हम कई सम्बन्धियों को एक ही नाम से क्यों पुकारते हैं जैसे पिता की आयु व माता की आयु के लोगों को पिता या माता शब्दों द्वारा सम्बोधित क्यों करते हैं? कुछ लोग जैविकीय सम्बन्धों की तुलना में सम्बन्धियों द्वारा निभाये गये अधिकार एवं कर्तव्यों को अधिक महत्त्व देते हैं। मलेशिया के कुछ भागों में बच्चा किस परिवार का माना जायेगा, इसका निर्णय प्रसव की क्रिया से नहीं होता, वरन् कुछ सामाजिक कृत्यों पर निर्भर है। वहाँ एक द्वीप में तो प्रसूता का जो व्यक्ति उसके कार्यों का मूल्य देता है, वही उसकी सन्तान का पिता कहलाता है और उस व्यक्ति की पत्नी उस बच्चे की माँ बन जाती है। एक-दूसरे द्वीप में वह व्यक्ति पिता बन जाता है जो गृह द्वार पर साइकस वृक्ष के पत्ते का आरोपण करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पितृत्व और मातृत्व सृजन एवं प्रसवन की शारीरिक क्रियाओं पर ही पूर्णतः आधारित नहीं है, वरन् सामाजिक प्रथाओं पर निर्भर है। अतः स्पष्ट है कि नातेदारी में सामाजिक मान्यता जैविक तथ्य पर आरोपित है।

***(ii)* विवाह संबंध** (Affinal Relations): प्रजनन पर आधारित नातेदारी संबंधों में विवाह संबंध भी है जो विषम-लिंगियों के बीच समाज की स्वीकृति के परिणामस्वरूप स्थापित होता है। केवल पति-पत्नी ही विवाह संबंधी नहीं है, वरन् उन दोनों के परिवारों के अनेक संबंधी भी परस्पर विवाह संबंधी होते हैं; जैसे सास, ससुर, ननद, भौजाई, जीजा, साली, साला संबंधी, साढ़ू, फूफा, भाभी, बहू आदि। इन सम्बन्धों को दो व्यक्तियों के संदर्भ में ही प्रकट किया जाता है; जैसे सास-बहू, ससुर-बहू, पति-पत्नी, जीजा-साली, देवर-भाभी, ननद-भौजाई, साला-बहनोई, मामी-भांजा, भतीजा-फूफा आदि। इन सभी सम्बन्धियों के बीच संबंध का आधार रक्त न होकर विवाह है।

3.2 संगोत्रता (नातेदारी) की श्रेणियाँ (Categories of Kinship)

हमारे जितने भी नातेदार हैं उन सबसे हम समान रूप से सम्पर्क, निकटता एवं घनिष्ठता नहीं रखते हैं। कुछ हमारे अधिक निकट हैं तो कुछ दूर। इस निकटता, घनिष्ठता एवं सम्पर्क के आधार पर हम नातेदारों को विभिन्न श्रेणियों में बाँट सकते हैं जैसे–प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ एवं पंचम आदि।

मरडॉक ने नातेदारी की श्रेणियों का गहन अध्ययन किया है।

प्राथमिक संबंधी (Primary Relatives) वे व्यक्ति हैं जिनसे हमारा सीधा संबंध है या जिनके संबंध को प्रकट करने के लिए और संबंधी बीच में नहीं है। एक परिवार में आठ प्रकार के प्राथमिक संबंधी हो सकते हैं जिनमें सात रक्त से सम्बन्धित एवं एक विवाह से सम्बन्धित होता है। पिता-पुत्र, पिता-पुत्री, माता-पुत्र, माता-पुत्री, भाई-भाई भाई-बहिन, बहिन-बहिन ये सभी रक्त संबंधी हैं। पति-पत्नी का प्राथमिक संबंध विवाह पर आधारित है।

द्वितीयक संबंधी (Secondary Relatives) वे हैं जो उपर्युक्त प्राथमिक सम्बन्धियों के प्राथमिक सम्बन्धी हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति का दादा उसका द्वितीयक सम्बन्धी है क्योंकि दादा से पोते का संबंध पिता के द्वारा है और पिता तथा पिता के पिता (दादा) आपस में प्राथमिक संबंधी हैं। ये रक्त संबंधी द्वितीयक रिश्तेदार हैं। रक्त संबंधी द्वितीयक रिश्तेदारों के और उदाहरण हैं–चाचा-भतीजा, मामा, नाना, नानी आदि। विवाह द्वारा बने नातेदारों में भी द्वितीयक सम्बन्धियों में हम सास-ससुर, साला-बहनोई, साली, देवर-भाभी आदि को गिन सकते हैं। मरडॉक ने 33 प्रकार के द्वितीयक संबंधों का उल्लेख किया है।

तृतीयक संबंधी (Tertiary Relatives) वे हैं जो हमारे द्वितीयक सम्बन्धियों के प्राथमिक सम्बन्धी हैं या हमारे प्राथमिक सम्बन्धियों के द्वितीयक संबंधी हैं।

पितामह (Great-grand father) हमारे तृतीयक संबंधी हैं क्योंकि हमारे पिता प्राथमिक संबंधी हैं और पिता के पिता द्वैतीयक संबंधी हैं, अत: दादा के पिता हमारे तृतीयक संबंधी होंगे। इसी तरह से साले का लड़का हमारा तृतीयक संबंधी होगा क्योंकि साला हमारा द्वितीयक संबधी और उसका पुत्र तृतीयक होगा। मरडॉक ने कुल 151 प्रकार के तृतीयक सम्बन्धियों का उल्लेख किया है। इस प्रकार संबंधों की यह शृंखला हम चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और आगे भी ले जा सकते हैं।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें–

1. एक परिवार में आठ प्रकार के ········ हो सकते हैं।
2. दादा के पिता हमारे ········ संबंधी होंगे।
3. प्रजाति द्वारा क्षेत्र विशेष पर अधिकार जमाने की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ही ········ कहलाती है।

3.3 अनुक्रमण या पदारोहन (Succession)

इस अवधारणा का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है। प्रथम परिस्थितिकी प्रक्रिया के रूप में यह अवधारणा किसी क्षेत्र पर एक प्रकार के अधिभोक्ता को किसी अन्य प्रकार के अधिभोक्ता द्वारा जबरदस्ती से बाहर निकाल कर अधिकार जमाने को इंगित करती है। बाहर निकालने तथा दूसरी प्रजाति द्वारा क्षेत्र विशेष पर अधिकार जमाने की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ही अनुक्रमण कहलाती है। अनुक्रमण तब होता है जब हमलावर किसी क्षेत्र पर डबल अधिभोक्ता बन जाते हैं।

द्वितीय, इस अवधारणा का प्रयोग अधिकारों के संचरण वरिष्ठता, चुनाव या नातेदारी संबंधों के आधार पर हो सकता है। अंग्रेजी के 'सक्सेशन' शब्द का बहुधा प्रयोग अंग्रेजी शब्दावली के अन्य शब्द 'इन्हेरिटेन्स' के पर्याय के रूप में किया जाता है जो पद तथा संपत्ति दोनों के संचरण की प्रक्रिया को प्रकट करता है। किन्तु 'सक्सेशन' शब्द अधिकांशत: पद के अधिकारों के संचरण की प्रक्रिया को प्रकट करता है। अत: इसे 'पदाधिकार' कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। पदाधिकार का रूप मातृवंशीय तथा पितृवंशीय दोनों में से कोई एक हो सकता है।

उत्तराधिकार (Inheritance)

व्यक्तियों तथा वस्तुओं संबंधी वैधानिक तथा प्रथागत अधिकारों के संचरण को उत्तराधिकार कहते हैं। कुछ समाज वैज्ञानिकों के मतानुसार उत्तराधिकारी से तात्पर्य केवल सम्पत्ति के हस्तांतरण से ही नहीं है, अपितु इसमें पद, प्रतिष्ठा एवं सामाजिक परिस्थिति भी सम्मिलित होती है। जब प्रस्थिति का संचरण होता है तब वस्तुएँ तो स्वत: उस प्रस्थिति के धारक को मिल जाती हैं। अत: जब हम प्रस्थिति के संचरण की बात करते हैं तब उसमें न केवल सम्पत्ति अपितु मुखिया की प्रस्थिति आदि का उत्तराधिकार भी सम्मिलित होता है। वास्तव में, उत्तराधिकार एक व्यापक अवधारणा है जिसमें सम्पत्ति तथा पद दोनों के संचरण की प्रक्रिया सम्मिलित है। इन दोनों के अलग-अलग संचरण की प्रक्रिया के लिए दायाधिकार तथा पदाधिकार की अवधारणाओं का प्रयोग अधिक उपयुक्त होगा। आदिम जातियों में उत्तराधिकार संबंधी तथ्यों की खोज करते समय **प्रो. डब्ल्यू. एच. आर. रीवर्स** ने बहुत पहले ही वंशानुक्रम, दायाधिकार तथा पदाधिकार की प्रक्रियाओं में स्पष्ट भेद प्रदर्शित किया है। उन्होंने 'दाय' अर्थात् सम्पत्ति के हस्तांतरण के लिए दायाधिकार (इनहेरिटेन्स) तथा 'पद' अथवा 'प्रतिष्ठा' के संचरण के लिए पदाधिकार (सक्सेशन) के पदों के प्रयोग का सुझाव दिया है। दायाधिकार के लिए आंग्ल भाषा में कोई अलग शब्द न होने के कारण 'इनहेरिटेंस' शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है, जब कि यह पद सम्पत्ति और पद दोनों के उत्तराधिकार को अभियुक्त करता है। उत्तराधिकार के प्रमुख चार नियम हैं–पितृरेखीय, मातृरेखीय, उभयवाही और समस्त्रोतीय उत्तराधिकार।

उभयवाही उत्तराधिकार (Bilateral Inheritance)

उभयवाही शब्द का प्रयोग पुरुष तथा स्त्री दोनों के द्वारा वंशक्रम या सम्पत्ति-संचरण की व्यवस्था के लिए किया जाता है। जब एक व्यक्ति को पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों से अलग-अलग प्रकार से सम्पत्ति का हस्तांतरण होता है, तब यह व्यवस्था उभयवाही उत्तराधिकार कहलाती है।

समस्त्रोतीय या सपिन्ड उत्तराधिकार (Collateral Inheritance)

जब पद एवं सम्पत्ति का हस्तांतरण पुत्रों की अपेक्षा भाइयों को होता है, तब यह व्यवस्था समस्त्रोतीय या सपिन्ड उत्तराधिकार कहलाती है। संसार की कुछ आदिवासी जातियों जैसे किकुयू एवं काफिर में यह प्रथा देखने को मिली है।

मातृरेखीय उत्तराधिकार (Matrilineal Inheritance)

जब सम्पत्ति एवं पद का हस्तांतरण संतानों को मातृ-पक्ष के आधार पर होता है, तब इसे मातृरेखीय उत्तराधिकार कहते हैं। यह व्यवस्था मातृवंशीय समाजों की मुख्य विशेषता है जिनमें सम्पत्ति के हस्तांतरण के दो प्रमुख रूप देखने में आये हैं, यथा माँ से पुत्री को और मामा से भानजे को। जहाँ परिवार की सम्पत्ति स्त्रियों की समझी जाती है तथा उन्हें मालिकाना अधिकार प्राप्त होता है, वहाँ सम्पत्ति का हस्तांतरण माँ से पुत्री को होता देखा गया है। भारत की खासी जनजाति इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। कई मातृवंशीय समाजों में उत्तराधिकार की यह प्रक्रिया मामा से भान्जे की ओर चलती है। इस संबंध में **पिडिंगटन** ने लिखा है, 'मातृरेखीय पदाधिकार का अर्थ, वास्तव में पद एवं पदवी का संचरण स्त्रियों के माध्यम से पुरुष से पुरुष को होना है।'

पितृरेखीय उत्तराधिकार (Patrilineal Inheritance)

जब पद एवं साम्पत्तिक अधिकारों के संचरण की प्रक्रिया पुरुष रेखा का अनुसरण करते हुए पिता से पुत्र के रूप में चलती है, तब यह व्यवस्था पितृरेखीय उत्तराधिकार कहलाती है।

टास्क उभयवाही उत्तराधिकार किसे कहते हैं?

3.4 सारांश (Summary)

- माता-पिता तथा संतानों के बीच तथा भाई-बहनों के बीच के संबंध समरक्तता संबंध कहलाते हैं।
- विवाह संबंध समाज की स्वीकृति द्वारा विषम लैंगिक होता है।
- सास-ससुर, जीजा-साली, देवर-भाभी के बीच का संबंध रक्त न होकर विवाह-संबंधी है।
- व्यक्तियों तथा वस्तुओं संबंधी वैधानिक तथा प्रथागत अधिकारों के संचरण को उत्तराधिकार कहते हैं।
- उत्तराधिकार के प्रमुख चार नियम हैं–उभयवाही, सपिण्ड, मातृरेखीय तथा पितृरेखीय।

3.5 शब्दकोश (Keywords)

1. **ज्येष्ठाधिकार (Primogeniture)**: उत्तराधिकार का एक नियम जिसके अनुसार सबसे बड़ा पुत्र (मातृवंशीय समाजों में पुत्री) माता-पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है।
2. **कनिष्ठाधिकार (Ultimogeniture)**: उत्तराधिकार वह नियम जिसके अनुसार सबसे छोटा पुत्र (मातृवंशीय समाज में पुत्री) अपने माता-पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है। एशिया में यह प्रथा तुर्क, मंगोल जाति में पाई जाती है।
3. **समसाधिकार (Unigeniture)**: उत्तराधिकार का एक नियम जिसके अंतर्गत सहोदरों के समूह में कोई एक माता-पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है।

3.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. नातेदारी के प्रकारों का वर्णन करें।
2. पदारोहन का क्या अर्थ है?
3. उत्तराधिकार के प्रमुख चार नियम बताएँ।